

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर प्रार्थना पत्र/22/2018

तारीख रजु 14.03.2018

उनवान

रतन्या पुत्र श्योजी जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली।

_____सायल

बनाम

रामसिंह पुत्र धुन्धी जाति मीना वगै० निवासी सूरौठ तह० हिण्डौन जिला करौली।

_____गैरसायलान (41)

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- श्री अशोक कुमार शर्मा एडवोकेट।

प्रतिवादीगण की ओर से :-श्री महेश गोयल, एसएल चौधरी एडवोकेट।

निर्णय

दिनांक 17.03.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायलान की ओर वकालतन एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ग्राम सूरौठ हसील हिण्डौन के खसरा नम्बर 1473, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655 के संबंध में पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया। बार-बार आवाज के उपरांत भी वकील सायलान तथा सायलान पक्ष अनुपस्थित रहा प्रकरण में सायलान के अनुपस्थित रहने के कारण प्रार्थना पत्र अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 22/2018 रतन्या बनाम रामसिंह अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

